

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक - सामान्य / 11 / 05 / 2019


दिनांक 3.10.2019

- आदेश -

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कर्मोंक प.1(1)न्याय/2016 पार्ट-11 दिनांक 27.9.2019 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैंचक का स्थान
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता	मकराना
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महवा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा	महवा

आदेशानुसार,



(सतीश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक सामान्य / 11 / 2019 / 1386

दिनांक 3.10.2019

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
 2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
 3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
 4. संबंधित न्यायालय जरिये जिला न्यायाधीश।
 5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
 6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
 7. प्र.अ.न्या. अधीनस्थ न्यायालय स्था. शाखा, रा.उ.न्या., जोधपुर।


(सतीश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

19
0/19